

प्रोजेक्ट प्रवीण - कौशल विकास के माध्यम से छात्रों के भविष्य को संवारने की एक पहल

“प्रोजेक्ट प्रवीण” उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से संचालित एक विशेष कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सभी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को उनके नियमित पढ़ाई के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार, स्कूली स्तर पर ही कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि देश एक ऐसा अत्यधिक कुशल कार्यबल तैयार कर सके जो उद्योगों की मांगों को पूरा करने में सक्षम हो।

प्रोजेक्ट प्रवीण का लक्ष्य माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की नियमित शिक्षा में व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण को एकीकृत करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस प्रकार, यह कार्यक्रम छात्रों को उभरते हुए वैश्विक रोजगार के अवसरों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार करता है। प्रोजेक्ट प्रवीण प्रत्येक जिले में चयनित सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को, प्रत्येक शैक्षणिक दिवस पर 90 मिनट का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ये प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता-आधारित अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रित होते हैं, जिन्हें छात्रों की रुचियों के अनुरूप तैयार किया गया है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योग्य प्रशिक्षण प्रदाताओं को शामिल करके इन प्रशिक्षण गतिविधियों को सुगम बनाता है। प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत शामिल पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा प्रमाणित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, प्रोजेक्ट प्रवीण ने प्रत्येक जिले के दो स्कूलों से 21,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया, जिससे कुल 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालय थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, इस कार्यक्रम का विस्तार 150 स्कूलों से बढ़ाकर अतिरिक्त 165 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों तक किया गया, जिससे यह प्रशिक्षण 41,480 छात्रों तक पहुँचा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, इस कार्यक्रम ने 179 स्कूलों को कवर किया, और 2025-26 तक, इसकी योजना 506 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और 677 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 170,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की है।

प्रोजेक्ट प्रवीण के उद्देश्य:

- ✓ स्कूली शिक्षा में छात्रों की रुचि बढ़ाना, जिससे माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप-आउट) की दर में कमी लाई जा सके।
- ✓ छात्रों को उनकी नियमित शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी और गैर-तकनीकी, अभिनव और रोजगार-उन्मुख क्षेत्रों तथा विषयों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उन्हें अपनी आगे की शिक्षा और भविष्य की दिशा निर्धारित करने में सहायता मिल सके। इसके अलावा, रोजगार के माध्यम से उन्हें आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- ✓ छात्रों को 'अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम' (Short-Term Skill Training Program) के तहत स्वीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करना, जो 'राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद' (NCVET) के मानकों के अनुरूप हों; ताकि प्रशिक्षण के बाद दिए जाने वाले प्रमाण पत्र में उल्लिखित क्रेडिट और 'राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क' (NSQF) के स्तर छात्रों को प्राप्त हो सकें।
- ✓ कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना; तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना, जिनमें छात्र, स्कूल, शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण प्रदाता (TPs), सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs), प्रमाण-पत्र जारी करने वाले निकाय, मूल्यांकन एजेंसियां (AAs), प्रशासक, और अनुसंधान संस्थान व एजेंसियां आदि शामिल हैं।
- ✓ उद्योगों-विशेष रूप से सेवा क्षेत्र-की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम संचालित करना, ताकि कुशल कर्मियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- ✓ व्यावसायिक और कौशल-संबंधी पेशेवर समुदायों से आने वाले युवाओं को उनके पारिवारिक और पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उन्हें अपने उत्पादों के विपणन (मार्केटिंग) के लिए तैयार किया जा सके।
- ✓ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वंचित समूहों-जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन और महिला छात्र-को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वे बेहतर आजीविका अर्जित करने में सक्षम हो सकें।